सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1066/JH/15/2022-RO-RNC (ESDW) **दिनांक: 18.11.2022**

सेवा में,

श्री अशोक उरांव,
ग्राम बाढ़,
पोस्ट-कोकदोरो,
थाना-पीठोरिया,
जिला-रांची,
झारखंड

विषय: वन विभाग एवं गैर मजरुआ जामीन का जमा बंदी रद्द करके सामुदायिक अधिकार देने के संबंध में श्री अशोक उरांव, ग्राम बाढ़ू, पोस्ट-कोकदोरो, थाना-पीठोरिया, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 04.03.2020 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अंनत नायक जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 30.11.2022 को अपराह्न 04:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अत: आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस. पी. मीना)
उप-निदेशक

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website : www.ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777